

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्र. नं. 349/2018 मीनले व/स वादी


नम्बर व
जो इस ह



तावा अन्तर्गत धारा
53 आर टी एक्ट

146
2018

12.03.2024:-पत्रावली पेशी मे आई। वादी वकील उपस्थित नही आए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया पत्रावली मे अपेक्षित कार्यवाही नही की जा रही। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण वाद-पत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

बअदालत सहायक क
हनुमान

न पुत्र श्री जगदीश जाति जाट निवासी डबलीबास पै
नगढ़

बनाम

जगदीश पुत्र मामराज जाति जाट निवासी डबलीबास पै
हनुमानगढ़

मोनिका पुत्री जगदीश पत्नि अरविन्द जाति जाट निवासी
पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

प्रबन्धक, एसबीबीजे तहसील डबलीराठान तहसील व जि
स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमा
लीलावती व/स जगदीश जाति जाट नि.

अर्जीदावा वास्ते घोषणात्मक
आज्ञापित एवं खाता विभाज
करवाने बरूवे राजस्व रिका
एव शहादत हर किस्म

रय,

वादपत्र वादी निम्न प्रकार से है :-

यह कि प्रश्नगत कृषि चक न. 14 जे आर के "ए
66/247(3) किला नं. 25/1, पं. नं. 66/248(4)
63/258(56) किला नं 15 ता 18, 21 ता 25 प. न. 6
प. न. 66/259(60) किला नं 20, 21 प. न. 66/260
3.897 हैक्टर व चक नं 13 जे आर के खाता संख्य
किला नं 1, 2, 9, 10 कुल 1.012 हैक्टर प्रतिवादी सं